

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-11, खंड-3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, दिनांक 5 January 2011

शुद्धि पत्र

अधिसूचना सं. /2010- आयकर
(आयकर)

का.आ. (अ)- दिनांक 3 अगस्त, 2010 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-11, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की दिनांक 3 अगस्त, 2010 की का.आ.सं.संख्या 1898(अ) की अधिसूचना के अनुच्छेद 2 में "यह अधिसूचना इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी" के लिए पढ़ें "यह अधिसूचना पूर्वोक्त योजना के तहत अप्रैल, 2004 के प्रथम दिवस अथवा उसके पश्चात तथा मार्च 2008 के 31वें दिवस के पूर्व किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं पर लागू समझी जाएगी जिससे कि धारा 80 झख की उप-धारा (10) के तहत कर निर्धारण वर्ष 2005-06 से आगे के लिए ऐसी परियोजनाओं से उद्धृत होने वाली आय पर कटौती की जा सकेगी।

(फा.सं. 178/37/2006-आ.क.नि.1)

रमण चोपड़ा

(रमण चोपड़ा)

निदेशक (आ.क.नि.-1)

स्पष्टीकरण जापन: चूंकि धारा 80 झख (10) के प्रावधान केवल 31/3/2008 के पूर्व अनुमोदित आवासीय परियोजनाओं पर ही लागू होते हैं अतः उपरोक्त अधिसूचना भी पूर्वोक्त योजना के तहत अप्रैल, 2004 के प्रथम दिवस अथवा उसके पश्चात तथा मार्च, 2008 के 31वें दिवस से पूर्व किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आवासीय परियोजनाओं पर लागू समझी जाएगी।

सेवा में,

प्रबंधक,

भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड,

मायापुरी औद्योगिक क्षेत्र, (राजौरी गार्डन के पास),

नई दिल्ली